जैतासर से उतरी दिशा में चलकर धोलपालिया जोहड से फंटकर खसरा नंबर 145, खसरा नंबर 149, खसरा नंबर 151, खसरा नंबर 152 से चला आ रहा है। उक्त रास्ता मौका पर मौजूद है, खसरा नंबर 152 से यही रास्ता खसरा नंबर 153, खसरा नंबर 156 में से निकलकर धोलिया–श्रीडूंगरगढ रोड से मिलान करता है। प्रार्थिनी इसी रास्ते से अपने खेत में प्रवेश करती रही है। उक्त रास्ता प्रार्थिनी के खेत में प्रवेश के लिये सुगम व नजदीकी है तथा पिछले 60 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है, चूंकि धोलिया से श्रीडूंगरगढ सडक का निर्माण कुछ समय पूर्व हुआ है, इसलिये प्रार्थिनी लालचवश गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी के खेत में से रास्ता कायम करवाकर अपने खेत की भूमि को सडक रास्ता से जुडवाने की फिराक में है, प्रार्थिनी के खेत खसरा नंबर 78 में प्रवेश का रास्ता पूर्व से ही विद्यमान है। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट पर विदान अप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न बयानों में यह स्पष्ट है कि प्रार्थिनी के खेत खसरा नंबर 78 का रास्ता इस खसरे के पश्चिमी तरफ चले आ रहे प्रचलित रास्ते से फटकर मौके पर स्थित है जो कि प्रचलित रास्ता आगे जाकर सडक श्रीडूंगरगढ धोलिया में मिलता है।खसरा नंबर 152 में से जो प्रचलित रास्ता गुजरता है व इसी रास्ते से प्रार्थिनी अपने खेत खसरा नंबर 78 में प्रवेश करती है जिसकी दूरी कम है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संलग्न नक्शा में भी प्रचलित मार्ग को खसरा नंबर 152 में चिन्हित किया गया है। उक्त प्रस्तुत मार्ग को सक्षम अधिकारी के आदेश पर राजस्व रिकार्ड में कटाणी दर्ज किया जा चुका है। इसलिये प्रार्थी ने राजनितिक द्वेवषता वश व सडक मार्ग से जुडने की मंशा से लालचवश अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 79 में से रास्ता चाहा है। जो कि गलत है। इस आधार पर प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नक्शा व गवाह हंसराज, रामूराम, गिरधारीलाल, मांगीलाल, सत्यनारायण,लूणाराम का अवलोकन किया। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी के खेत में आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 152 के प्रचलित रास्ते से जिसे अब राजस्व रिकार्ड मे कटाणी दर्ज किया जा चुका है जिससे फंटकर पश्चिम तरफ प्रर्थिनी के खेत की पूर्वी सीमा नजदीक दर्शित है। पत्रावली में प्रस्तुत बयानों में भी गवाहान ने इसी कटाणी मार्ग से फंटकर प्रार्थिनी के खेत में आने जाने के कथन किये है। प्रार्थिनी के खेत खसरा नंबर 78 में प्रवेश का रास्ता वर्तमान कटाणी मार्ग से फंटकर खसरा नंबर 152 में से होना दर्शित होता है। उक्त कटाणी मार्ग से प्रार्थिनी के खेत की दूरी बहुत कम दर्शित है। हमने उभय पक्षकारों की बहस पर मनन किया पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिस आधार पर प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 18:01:13 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 5.7.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय नायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी